संख्या-2/2023/I/347232/2023/File No.10-35099/12/2021-35

प्रेषक,

समीर,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
संस्थागत वित्त महानिदेशालय,
16- विधान सभा मार्ग, लखनऊ, उ०प्र० ।

वित्त (संस्थागत) अनुभाग-35 लखनऊः दिनांक: 11 जुलाई, 2023

विषय- जनपद लखनऊ में संस्थागत वित्त महानिदेशालय के कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-1570/4-लेखा/बजट /2023-24, दिनांक 23 मई, 2023 एवं शासनादेश सं0-1556(1)/बी/क०नि०-6/2015-20बी(11)/2015, दिनांक 18.12.2015, शासनादेश सं0-326(बी)/क०नि०-6-2016-20बी(1)/2015 दिनांक 04.05.2016, शासनादेश सं0-568बी/वि०(सं०)अनु0-35-2021-20बी(11)/ 2015 दिनांक 05 अक्टूबर,2021 एवं पत्र संख्या-I/194650/2022(फाइल संख्या-10-35002(002)/1/2021, दिनांक 26 जुलाई,2022 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-लखनऊ में संस्थागत वित्त महानिदेशालय के कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 1171.91लाख (रूपये ग्यारह करोड़ इकहत्तर लाख इक्यानवे हजार मात्र) में से रू0 5,00,00000/- (रूपये पाँच करोड़ मात्र) की धनराशि उक्त योजना हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्यदायी संस्था को भुगतान किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किए जाने विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों / मानकों में प्रावधनित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा शासनादेश में दिये गये अन्य दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार / केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3. कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानकों के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण कार्य संपादित कराया जायेगा निर्माण मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

4. उक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा जिस बाउचर संख्या एवं जिस तिथि को धनराशि कोषागार में आहरित की जाय, उसका विवरण महालेखाकार उ०प्र० एवं शासन को अविलम्ब प्रेषित किया जाय तथा धनराशि के पूर्ण उपयोग की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय। निर्माण कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रतिमाह शासन को भेजी जाय।

5. धनराशि का उपयोग उसी कार्य मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा इसे अन्य कार्यों के लिए डाइवर्ट नहीं किया जायेगा, जैसे ही धनराशि का पूर्ण उपयोग हो जाय, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित कर दिया जाय।

6. इस धनराशि से निष्पादित कराये जाने वाले कार्यों के लेखों की लेखा परीक्षा महालेखाकार के विवेकानुसार की जायेगी।

7. धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में मितव्ययता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. महानिदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा ई परियोजना प्रबन्धन वेबसाइट पर दर्ज परियोजनाओं की सूचना प्रत्येक माह अद्यतन की जायेगी।

9. यह भी सुनिश्चित किया जयेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है अर्थात् किसी प्रकार द्विरावृत्ति न हो । उक्त कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी।

10. प्रायोजना का निर्माण कार्य 03 माह में पूर्ण कर लिया जाय तथा इसका पुनः पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।

11. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी०एल०ए०/ बैंक / डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

12. धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

13. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में निर्धारित सीमा तक ही समस्त कर/सेस /चार्ज लिया जायेगा तथा सम्बन्धित को नियमानुसार भुगतान किया जायेगा तथा प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों / स्टोर पर्चेज रूल्स के अन्तर्गत किया जायेगा।

14. धनराशि एकमुश्त आहरित न करके अपितु आश्यकतानुसार आहरित कर व्यय हेतु कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

15. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यक्तानुरूप महानिदेशालय द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण / सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

16. प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। महानिदेशालय द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो।

17. प्रायोजना आगणन में प्रस्तावित विभिन्न कार्यमदों की मात्राओं तथा प्राविधानों को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था / महानिदेशालय का होगा।

18. प्रायोजना प्रस्ताव / आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, ड्राइंग एवं डिजाइन में परिवर्तन, अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। महानिदेशालय द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-65 के अधीन "लेखाशीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-04 जनपद लखनऊ में संस्थागत वित्त महानिदेशालय के कार्यालय भवन का निर्माण 24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।"

भवदीय,

समीर

विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय उ०प्र० प्रयागराज ।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव / सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन ।
6. निदेशक, सी० एण्ड डी०एस० उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
7. परियोजना प्रबंधक सी0 एण्ड डी०एस०. उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
8 गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

नितिन कुमार गुप्त
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।